



इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट- सी सं० - 1624 वर्ष 2026

अमर सिंह

..... याची(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य तथा 4 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : भानू प्रताप सिंह

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : आजाद राय, मुख्य स्थायी, अधिवक्ता

न्यायालय सं० 2

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता, प्रत्यर्थी-राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता, श्री आजाद राय, प्रत्यर्थी सं० 5 के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. इसमें पारित किये जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, प्रत्यर्थी/ प्रत्यर्थीगण को नोटिस देने से तथा इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभदायक प्रयोजन पूरा नहीं होगा। फिर भी, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण आदेश द्वारा व्यथित महसूस करते हैं आदेश के उपांतरण/ परिवर्तन की मांग करने के इसके अधिकार को सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान याचिका में याची द्वारा ईप्सित मूलभूत अनुज्ञाप एक पक्षीय आदेश दिनांक 18-03-2017 के विरुद्ध रिकाल/पुनः स्थापन आवेदन दिनांक 12-03-2025 का विनिश्चय शीघ्रतापूर्वक करने के लिए प्रत्यर्थी सं० 3-उप जिलाधिकारी, चायल, जिला कोशाम्बी को निदेश देने के संबंध में है।
4. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि पर्याप्त समय पहले ही बीत चुका है लेकिन आज की तिथि तक मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है।
5. मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों में, संबंधित न्यायालय को सर्वथा विधि के अनुसार शीघ्रतम तथा अधिमानतः तीन माह के अवधि के अन्दर लेकिन अनावश्यक स्थगन दिये बिना पूर्वोक्त आवेदन का विनिश्चय करने का निदेश देते हुए वर्तमान मामले को निपटाया जाता है जब तक कोई विधिक बाधा न हो।

जनवरी 20, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"